



209

**बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन, लि.0,**  
**"खाद्य भवन", दारोगा राय पथ, आरोड़ोक, रोड नं. 2, पटना 800001**  
**कार्यालय आदेश**

बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के प्रशासनिक सरंचना के पुर्नगठन के फलस्वरूप पूर्णकालिक कंपनी सचिव के पद पर संविदा पर नियोजन के संबंध में।

खाद्य एवं उपभोक्ता सरंक्षण विभाग के संकल्प ज्ञापांक प्र० ३-विविध निः ०-१०/ २०१६-५३६३ दिनांक १८.१०.१७ के द्वारा बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के प्रशासनिक सरंचना के पुर्नगठन किया गया है, जिसे निगम निदेशक पर्षद के मद सं० १५०.९ से अनुमोदन प्राप्त है तथा निगम आदेश ज्ञापांक १११८६ दिनांक ३.११.१७ से निगम के प्रशासनिक सरंचना के पुर्नगठन को लागू किया गया है।

निगम में कंपनी सचिव के १(एक) पद स्वीकृत है, जिसका वेतनमान PB-3+7600 घोड़ पे है। निदेशक पर्षद के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया- "In view of the provisions of section 203 of the Companies Act, 2013 read with Rule 8A of Companies(Appointment and Remuneration) Rule, 2014; the company is required to appoint a whole-time Company Secretary".

निगम निदेशक पर्षद की दिनांक ८.३.१८ को हुई बैठक मद सं० १५२.२५ में विचारोपरान्त निम्न निर्णय लिये गये-

**"RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of section 203(1) of the Companies Act, 2013, read together with Rule 8A of the Companies (Appointment and Remuneration) Rule, 2014, consent of the Board be and is hereby given to appoint a whole-time company secretary of the Company".

**"RESOLVED THAT** the managing director be and is hereby authorised to do all such acts and deeds as may be required to give effect to the instant resolution".

**"RESOLVED THAT** on completion of selection formalities as are applicable to the corporation, a proposal for appointment of the selected whole-time company secretary shall be placed to the Board for appointment".

तदनुसार बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के पुर्नगठन के फलस्वरूप पूर्णकालिक कंपनी सचिव १(एक) पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ करने का निदेश दिया जाता है।

ज्ञापांक- ३.०२.१४५२.०१.२००५ - ३७७६

प्रतिलिपि-मुख्य महाप्रबंधक, जन वितरण/अधिप्राप्ति/मुख्य सतकता पदाधिकारी/सभी महाप्रबंधक/सभी उप महाप्रबंधक/विपत्र लिपिक/जन सम्पर्क कोषांग/प्रबंध निदेशक कोषांग, निगम मुख्यालय एवं सभी जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक- ३.०२.१४५२.०१.२००५ - ३७७८

प्रतिलिपि-अपर सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता सरंक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।